न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी, जिला जोधपुर

डुंगरराम पुत्र भीखाराम मेघवाल निवासी लूणी बनाम राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार लूणी

अन्तर्गत धारा :– तरमीम दुरूस्ती

राजस्व विविध प्रार्थना संख्या :192/2025

हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
27.08.25	प्रार्थी डुंगरराम पुत्र भीखाराम मेघवाल निवासी ग्राम पंचायत लूणी तहसील लूणी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर ग्राम लूणी के खसरा नंबर 540/3 में ऑनलाईन तरमीम से हुई त्रुटी को संशोधन हेतु अनुरोध किया है। प्रार्थना पत्र की जांच हेतु तहसीलदार लूणी को इस कार्यालय के पत्रांक राजस्व/2025/401 दिनांक 04.06.2025 के द्वारा तहरीर जारी कर प्रकरण में जवाब/जांच हेतु लिखा गया। तहसीलदार लूणी के प्‌त्रांक/भू.अ./2025/2015 दिनांक 08.07.2025 के द्वारा जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई जो शामिल पत्रालवी की गई। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। तहसीलदार लूणी से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार ग्राम लूणी के खसरा संख्या 926/540 में से पंजीबद्ध बेचान डूंगराराम पुत्र भीखाराम जाति मेघवाल को करने पर खसरा संख्या 540/2 रकबा 0.2428 हैक्टेयर दर्ज हुआ। नामान्तरकण संख्या 1519 दिनांक 18.05.2015 की पुस्त के पीछे खसरा संख्या 540/2 की तरमीम नारायणराम के खते के पडौस में दर्शायी हुई है। नामान्तरकण संख्या 1519 दिनांक 18.05.2015 में प्रार्थी डूंगरराम पुत्र भीखाराम के खसरा संख्या 540/2 अंकित है तहसील डीआईआरएसएमपी के अन्तर्गत सूचीबद्ध करने पर खसरा संख्या 540/2 के स्थान पर खसरा संख्या 540/3 दर्ज कर दिया गया है।जो आदिनांक तक यही दर्ज है। DILRMP प्रोजेक्ट के तहत् ऑनलाइन दर्ज तरमीम नक्शा वर्तमान मौका स्थिति कब्जा–काश्त के नजरी नक्शा से भिन्न है। तहसीलदार रिपोर्ट के संलग्न हल्का पटवारी की रिपोर्ट के अनुसार ऑनलाइन नक्शे में दर्ज तरमीम को मौके पर कब्जाकाश्त अनुसार राजस्व रेकर्ड में दुरस्त किया उचित बताया है। पत्रावली का अवलोकन किया गया। अतः प्रार्थी के प्रार्थना पत्र एवं तहसीलदार लूणी रिपोर्ट की अनुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत तरमीम दुरूस्ती स्वीकार किया जाकर तहसीलदार लूणी को निर्देशित किया जाता है कि ग्राम लूणी खसरा संख्या 540/3 रकबा 0.2428 हैक्टेयर की तरमीम को राजस्व रेकर्ड में मौका पर कब्जाकाश्त के अनुसार तहसीलदार जांच रिपोर्ट के संलग्न मौका फर्द दिनांक 19.06.2025 के अनुसार शुद्ध किया जाकर रेकर्ड दुरस्ती का अमल दरामद करें। मौका फर्द दिनांक 19.06.2025 आदेश का अभिन्न अंग समझा जावें। आदेश सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी	